

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ खंडपीठ****विशेष अपील संख्या 282 / 2024****श्रीमती मनप्रीत कौर**

.....अपीलकर्ता(गण)

**बनाम**

उ.प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, उ.प्र. सरकार, लखनऊ तथा अन्य।

.....विपक्षी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी, श्री कृष्ण दत्त त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : श्री वी.पी. नाग (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

**मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय****माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली****माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह**

1. यह अपील सेवा एकल संख्या- 19739/2020 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, बहराइच

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2020 के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को निरस्त कर दिया गया है।

2. अपीलकर्ता के पति तहसील बहराइच, जिला बहराइच में मौसमी संग्रह अनुसेवक के पद पर कार्यरत थे, जब दिनांक 16.07.1994 को उनका निधन हो गया था। उनकी मृत्यु पर, अपीलकर्ता को मौसमी संग्रह अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया गया था और उसने वर्ष 2002 तक लगभग 1058 दिनों तक कार्य किया और उसके पश्चात उससे कोई कार्य नहीं लिया गया, यद्यपि उसका नाम मौसमी संग्रह अनुसेवकों की सूची में बना रहा। अपीलकर्ता ने वर्ष 2002 में संग्रह अनुसेवक के पद पर नियमित नियुक्ति की मांग करते हुए प्रत्यावेदन दिया, जिसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि प्रासंगिक समय पर, संग्रह अनुसेवक के पद पर नियुक्ति पर प्रतिबंध था।
3. उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 (संक्षेप में 'संशोधन नियमावली, 2016') को दिनांक 05.10.2016 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे मौसमी संग्रह अनुसेवकों में से चयन समिति के माध्यम से पचास प्रतिशत पदों को भरने का प्रावधान किया गया था, जिन्होंने कम से कम चार फसलों के लिए संतोषजनक रूप से कार्य किया हो और जिनकी आयु उस वर्ष के जुलाई के प्रथम दिन, जिसमें चयन किया जाता है, 45 वर्ष से अधिक न हो। उक्त उपाय उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रारंभ होने की तिथि पर उपलब्ध सभी विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए एकमुश्त उपाय था।

4. स्पष्टतः, इसी के अनुसरण में, दिनांक 23/26.11.2017 को, उप जिलाधिकारी, सदर, बहराइच ने अपर जिलाधिकारी, बहराइच को सूचित किया कि अपीलकर्ता की जन्म तिथि 30.06.1978 है और मौसमी संग्रह अनुसेवक के रूप में उसकी नियुक्ति की तिथि 09.01.1995 है और इस प्रकार, नियुक्ति की तिथि पर, वह 18 वर्ष से कम आयु की थी और, इसलिए, उसकी प्रारंभिक नियुक्ति त्रुटिपूर्ण थी तथा यदि 18 वर्ष की आयु के पश्चात उसकी सेवाओं पर विचार किया जाता है और वह पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के अधीन उसके वाद पर विचार किया जा सकता है।
5. जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो अपीलकर्ता ने सेवा एकल संख्या 4675/2020 दायर किया, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2020 को निर्णीत किया गया, जिसमें विपक्षियों को एक सकारण और सवाक् आदेश के माध्यम से उसके प्रत्यावेदन का निस्तारण करने की अपेक्षा की गई थी।
6. उक्त आदेश के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने सभी अपेक्षित सामग्री को संलग्न करते हुए एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। रिट याचिका में आक्षेपित आदेश दिनांक 22.04.2020 के द्वारा जिलाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि अपीलकर्ता की 18 वर्ष से कम आयु में की गई प्रारंभिक नियुक्ति त्रुटिपूर्ण थी, इसलिए उसके चयन से संबंधित पहलू को मुहरबंद लिफाफे में रखा गया था और चूंकि अपीलकर्ता ने यह इंगित करने के लिए कोई

सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है कि वह अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की थी, अतः वह किसी भी अनुतोष की हकदार नहीं थी।

7. क्षुब्ध होकर, वह रिट याचिका दायर की गई जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है।
8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2020 को उद्धृत करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि जिलाधिकारी ने वाद के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और उन्हें आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली तथा परिणामस्वरूप रिट याचिका को निरस्त कर दिया।
9. जब यह विशेष अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई, तो यह पाते हुए कि रिट याचिका को प्रारंभिक स्तर पर निरस्त कर दिया गया था, विपक्षियों को प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने का समय प्रदान किया गया था, जिसे इस अभिवचन को दोहराते हुए दाखिल किया गया है कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति त्रुटिपूर्ण होने के कारण, उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के अधीन संग्रह अनुसेवक के पद पर उसकी नियुक्ति से उचित ही इनकार किया गया था।
10. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विपक्षियों द्वारा अपीलकर्ता के संग्रह अनुसेवक के पद पर नियुक्ति के दावे को केवल इस कथित आधार पर अस्वीकार करना न्यायोचित नहीं था कि उसे 18 वर्ष से कम आयु में मौसमी संग्रह अनुसेवक के रूप में नियोजित किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि उप जिलाधिकारी, सदर,

बहराइच ने एक युक्तिसंगत संस्तुति की थी कि यदि, 18 वर्ष की आयु के पश्चात, अपीलकर्ता ने उस अवधि के लिए कार्य किया है जो उसे नियुक्ति के लिए पात्र बनाता है, तो उसके वाद पर विचार किया जा सकता है। तथापि, इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर जोर देना कि प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि पर वह 18 वर्ष या उससे अधिक की थी, जो न तो अपीलकर्ता का वाद था और न ही किसी समय, उसने अपनी जन्म तिथि/आयु को छिपाया, आदेश का पारित किया जाना पूर्णतः अनुचित था।

11. यह भी निवेदन किया गया है कि उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के अधीन, एकमात्र आवश्यकता यह है कि अभ्यर्थी ने कम से कम चार फसलों के लिए संतोषजनक रूप से कार्य किया हो और जिसकी आयु उस वर्ष के जुलाई के प्रथम दिन, जिसमें चयन किया गया था, 45 वर्ष से अधिक न हो, जिसे अपीलकर्ता द्वारा पूरा किया जा रहा है, भले ही उसके अनुभव की गणना 18 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात की जाए, और इस प्रकार विपक्षियों की कार्रवाई पूर्णतः अनुचित है और इसे अपास्त किए जाने योग्य है।

12. विपक्षियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में किए गए निवेदनों का प्रतिवाद किया, तथापि, दिनांक 16.12.2025 को, इस न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात, इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए कि उप जिलाधिकारी, सदर, बहराइच द्वारा की गई संस्तुति दिनांक 23/26.11.2017 के अनुसरण में, यदि अपीलकर्ता के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की अवधि को अपवर्जित करने के पश्चात, यदि वह पात्रता के अंतर्गत आती है, तो नियुक्ति के लिए उसके वाद पर विचार किया जा सकता है, उक्त संस्तुति पर कार्रवाई नहीं

की गई और यह इंगित करने के लिए सामग्री प्रस्तुत न करने के कारण किए गए प्रत्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया कि जिस तिथि को उसे प्रारंभ में नियोजित किया गया था, वह वयस्क थी, जिसका कोई आधार मौजूद नहीं था क्योंकि अपीलकर्ता प्रारंभ से ही अपनी जन्म तिथि 30.06.1978 होने का दावा करती रही है, विपक्षियों को संस्तुति दिनांक 23/26.11.2017 के निबंधनों में अपीलकर्ता के वाद पर विचार करने का निर्देश दिया और यह इंगित करने को कहा कि क्या उक्त संस्तुति के आधार पर अपीलकर्ता चयन के लिए पात्र होगी और इस पहलू को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।

13. आदेश दिनांक 17.01.2026 द्वारा, जिलाधिकारी, बहराइच इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उप जिलाधिकारी की व्यक्तिगत राय दिनांक 23/26.11.2017 को कोई मान्यता देने का कोई कारण नहीं था और उन्होंने न्यायालय की पृच्छा का उत्तर नहीं दिया, जब वाद 19.2.2026 को न्यायालय के समक्ष आया, तो यह ध्यान में रखते हुए कि न्यायालय ने स्थिति को इंगित करने का आदेश दिया था न कि आदेश पारित करने का, जिलाधिकारी से आदेश पारित करने का स्पष्टीकरण मांगा गया।

14. उक्त आदेश के अनुसरण में, आज जिलाधिकारी ने एक अनुपूरक प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह इंगित किया गया है कि उन्होंने अभिलेख का परिशीलन किया है और उप जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा की गई संस्तुति दिनांक 23/26.11.2017 को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता के वाद पर विचार किया है तथा अभिलेख के अनुसार, यह पाया गया कि चयन समिति द्वारा संग्रह अनुसेवक के रूप में नियमित नियुक्ति के लिए उसके नाम पर विचार करने की तिथि पर, नियमानुसार,

अपीलकर्ता 38 वर्ष 11 महीने और 09 दिन की थी, इस प्रकार वह 45 वर्ष से कम आयु की थी, जैसा कि नियमों के अधीन विहित है और उसका कार्य चार से अधिक फसलों के लिए संतोषजनक पाया गया, जैसा कि नियमों के अधीन विहित है, इसलिए, चयन समिति द्वारा उसके नाम पर विचार करने की तिथि पर आयु तथा कार्य को देखते हुए, वह नियमों के अनुसार मौसमी संग्रह अनुसेवकों के लिए विहित पचास प्रतिशत कोटे के अधीन संग्रह अनुसेवक के पद पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र थी। आगे यह इंगित किया गया है कि वर्ष 2017 में, जब पचास प्रतिशत कोटे के अधीन संग्रह अनुसेवक के पद पर नियमित नियुक्ति पर विचार किया गया था, तो कोटे के अंतर्गत मौसमी संग्रह अनुसेवक के 14 पद थे और उन 14 पदों में से 11 व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई थी तथा अपीलकर्ता के वाद में संस्तुतियों को मुहरबंद लिफाफे में रखा गया था, जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है। तथापि, यह निवेदन किया गया है कि अब उसने 45 वर्ष से अधिक की आयु पूरी कर ली है, जो उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के अधीन अधिकतम आयु है।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

16. न्यायालय के समक्ष आई समग्र तथ्यगत स्थिति से, यह तथ्य है कि वर्ष 2016 में नियमों में संशोधन किया गया था, जिसमें मौसमी संग्रह अनुसेवकों में से पचास प्रतिशत संग्रह अनुसेवकों के पदों को भरने के लिए एकमुश्त उपाय का प्रावधान किया गया था, जिनकी पात्रता शर्तें कम से कम चार फसलों के लिए संतोषजनक रूप से कार्य करने की हैं

और जिनकी आयु उस वर्ष के जुलाई के प्रथम दिन, जिसमें चयन किया जाता है, 45 वर्ष से अधिक न हो।

17. जैसा कि इसके पूर्व देखा गया है, जिलाधिकारी द्वारा दाखिल शपथ-पत्र के अनुसार, अपीलकर्ता आयु के साथ-साथ चार फसलों के लिए संतोषजनक रूप से कार्य करने के अनुभव की दोनों पात्रता शर्तों को पूरा करती है, तथापि एक पूर्णतः अविद्यमान पात्रता शर्त, अर्थात् मौसमी संग्रह अनुसेवक के रूप में प्रारंभिक नियोजन के समय उसकी आयु, के लिए उसके दावे को अस्वीकार कर दिया गया था।

18. उप जिलाधिकारी ने एक अत्यंत युक्तिसंगत और न्यायोचित संस्तुति की थी कि यदि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्, उसका कार्य अपेक्षित मानदंड को पूरा करता है, तो उसके वाद पर विचार किया जा सकता है, तथापि एक पूर्णतः निराधार आवश्यकता, अर्थात् उसके प्रारंभिक नियोजन की तिथि पर उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होने का प्रमाण, पर जोर देते हुए उसका वाद अस्वीकार कर दिया गया। पुनः इस न्यायालय द्वारा पूर्व रिट याचिका में आदेश पारित किए जाने के पश्चात्, इस अभिवचन को अस्वीकार कर दिया गया और विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त अस्वीकृति को स्वीकार कर लिया।

19. हमारा दृढ़ मत है कि उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के अनुसरण में संग्रह अनुसेवक के पद पर चयन के लिए अपीलकर्ता की अभ्यर्थिता को अस्वीकार करना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है और प्रावधानों की आवश्यकता के विरुद्ध है, जैसा कि अब स्थापित हो चुका है। अपीलकर्ता ने चार फसलों के लिए संतोषजनक रूप से कार्य किया था और वह 45 वर्ष से कम आयु की थी जब वर्ष 2017 में उसके वाद पर विचार

किया गया था, भले ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उसके कार्य को विचार में लिया गया हो, इस प्रकार उसके प्रारंभिक नियोजन के समय उसकी आयु 18 वर्ष से कम होने के आधार पर उसकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार करना पूर्णतः अनुचित था।

20. जहां तक इस तथ्य का संबंध है कि अब उसने 45 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, अपीलकर्ता के वाद पर उस तिथि को विचार किया जाना है जब चयन समिति ने उसके वाद पर विचार किया था और उसे मुहरबंद लिफाफे में रखा था क्योंकि तब से वह त्रुटिपूर्ण आधार पर अपने गैर-चयन का प्रतिवाद कर रही है और, इसलिए, इस संबंध में किए गए निवेदन का कोई आधार नहीं है।

21. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, विशेष अपील स्वीकार की जाती है।

22. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2020 को अपास्त किया जाता है। विपक्षियों द्वारा अपीलकर्ता के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुए पारित आदेश दिनांक 22.04.2020 तथा वर्तमान विशेष अपील के लंबित रहने के दौरान पारित आदेश दिनांक 17.01.2026 को अपास्त किया जाता है।

23. चूंकि अनुपूरक प्रतिशपथ पत्र दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से, यह स्थापित हो गया है कि अपीलकर्ता चयन की तिथि पर सभी प्रकार से पात्र है और रिक्त पद भी उपलब्ध था, अतः विपक्षियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उत्तर प्रदेश संग्रह अनुसेवक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 के अनुसरण में जिस तिथि को अंतिम नियुक्ति की गई थी,

उस तिथि से उसे संग्रह अनुसेवक के पद पर नियुक्ति प्रदान करें। अपीलकर्ता सभी पारिणामिक लाभों की भी हकदार होगी, तथापि, उसे वास्तविक वेतन और परिलब्धियों का भुगतान उस तिथि से किया जाएगा जिस तिथि से वह विपक्षियों द्वारा जारी किए जाने वाले नियुक्ति आदेश के अनुसरण में कार्यभार ग्रहण करती है।

24. उपरोक्त प्रक्रिया आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जाए।

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

17 मार्च, 2026

आर.के.